न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 829 / 2020 / (2020 / 829) जिला–अजमेर

श्री बाबूलाल अग्रवाल पुत्र श्री दामोदर प्रसाद अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी एफ. 102, मकान नम्बर 937, एस.बी.आई. बैंक स्ट्रीट चौड़ा रास्ता, जयपुर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ जिला अजमेर।
3. खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, अजमेर
4. निदेशक, पर्यटन विभाग राजस्थान जयपुर।

–––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर क्रमांक एफ 12 (सी) / कअ / राजस्व / 2013 / 166 दिनांक 4–6–2013

–––––

उपस्थित– 1. श्री मुकेश जैन अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 18.03.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पाटन स्थित आराजी खसरा नम्बर 415 / 1 रकबा 164 बीघा 10 बिस्वा 17 बिस्वांसी भूमि में से 1.00 हैक्टर भूमि का खनन् पट्टा चाहने हेतु आवेदन पत्र मनोज कौशिक पुत्र श्री गजानन्द शर्मा के द्वारा दिनांक 7–9–2002 को कार्यालय खनिज अभियन्ता खान एवं भू–विज्ञान विभाग अजमेर के समक्ष [illegible] किया। उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान राजस्व कर्मचारी द्वारा दिनांक [illegible]4–[illegible]3 को किया गया। उक्त खसरा का सत्यापन हलका पटवारी द्वारा दिनांक [illegible]–2003 को किया गया जिसके अनुसार सीमांकन क्षेत्र खसरा नम्बर 415/[illegible] आने की पुष्टि की [illegible] राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होना दर्शाया गया। उक्त आवंटित भूमि [illegible] सीमाज्ञान श्री मनोज कौशिक के समक्ष दिनांक 30–4–2003 को पुनः सत्यापित किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:39 IST
Reason: SelfAttested

पिलर लगाये गये जो चरागाह एवं वन क्षेत्र में नहीं आता है। इससे पूर्व हलका पटवारी के द्वारा दिनांक 8–09–2002 को जारी खसरा नम्बर 415/1 की जमाबंदी जो सरकार जिम्मन नम्बर 1 राजकीय भूमि खाता 415/1 होना दर्शाया गया। उक्त क्षेत्र के हलका पटवारी के द्वारा दिनांक 8–9–2002 को जारी खसरा नम्बर 415/1 की जमाबंदी एवं खसरा सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 30–4–2003 में उक्त क्षैत्र अन्य को आवंटन नहीं होने का उल्लेख पाया गया। इसके पश्चात श्री मनोज कौशिक, श्री गजानन्द शर्मा के पक्ष में कार्यालय के द्वारा आदेश संख्या 1840 दिनांक 24–12–2003 से पंजीयन तिथी से बीस वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया। जिसकी प्रति जिला कलक्टर को भिजवाई गई तथा खनन कार्य के लिए स्वीकृति आदेश की प्रति भी जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को भिजवाई गई कि उक्त स्वीकृति से यदि कोई आपत्ति विभाग को है तो एक माह के भीतर सूचित कराये। इसके पश्चात जिला कलक्टर के द्वारा उपरोक्त स्वीकृति आदेश के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नियमानुसार दर्ज नहीं कराई गई। तत्पश्चात खनिज अभियन्ता अजमेर द्वारा खनन पट्टे की संविदा का निष्पादन एवं पंजीयन दिनांक 9–3–2004 को कर खनन पट्टे का आवंटन बीस वर्ष के लिए किया गया। इसके पश्चात दिनांक 24–12–2013 को कार्यालय खान विभाग व राजस्व विभाग द्वारा उक्त खानों के अमल दरामद के लिए तहसील किशनगढ़ में आयोजित केम्प के अन्तर्गत उक्त खनन पट्टा संख्या 167/2002 के साथ–साथ 166/2002 को हलका पटवारी पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर को खसरा नक्शें में तरमीम करने की कार्यवाही की गई जिसके प्रमाण स्वरूप संबंधित दस्तावेजात कार्यालय को उपलब्ध कराये गये। उक्त खनन पट्टा शेष अवधि के लिए मैसर्स जयपुर माईन्स प्रो0 बी.एल.अग्रवाल एच.यू.एफ. निवासी एफ. 102, 937, एस.बी.आई. स्ट्रीट चौड़ा रास्ता जयपुर के पक्ष में अधीक्षण खनिज अभियन्ता, अजमेर के आदेश संख्या 4496 दिनांक 10–8–2018 से स्वीकृत किया जाकर संविदा का निष्पादन 10–8–2018 को एवं पंजीयन दिनांक 13–8–2018 को हुआ। अपीलार्थी के पक्ष में खान विभाग के द्वारा नियमानुसार खनिज पट्टा जारी किया गया परन्तु राजस्व कर्मचारियों के द्वारा राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में जो तरमीम दिनांक 24–12–2013 को करते हुए समस्त दस्तावेज खनिज विभाग को प्रस्तुत किये गये थे जिसका अमल दरामद मूल राजस्व अभिलेख में नहीं किया गया जिसके कारण मूल राजस्व अभिलेख में उपरोक्त आवंटित भूमि सिवायचक ही दर्ज रही। इस कारण जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश क्रमांक एफ. 12 (सी)कअ/राजस्व/13/166 दिनांक 4–6–2013 द्वारा ग्राम पाटन स्थित आराजी खसरा नम्बर 415/1 रकबा 164–10–17 बीघा भूमि में से 10 बीघा भूमि राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित कर दी गई, जिसका नामान्तरकरण संख्या 1 दिनांक 4–7–2013 भी स्वीकृत कर दिया गया और उक्त भूमि राजकीय कार्यालय हेतु स्थाई रूप से आरक्षित कर दी गई जबकि अपीलार्थी उपरोक्त भूमि पर खनन कार्य कर रहे है। जिला कलक्टर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:39 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया । अभिभाषक अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश क्रमांक एफ. 12 (सी)कअ/राजस्व/13/166 दिनांक 4–6–2013 को पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई भी पूर्व सूचना प्रदान नहीं की गई जबकि अपीलार्थी के द्वारा विवादित आराजियात बाबत राजस्व कर्मचारियों से नियमित रूप से सम्पर्क स्थापित कर रखा था। इसके बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी कर दिया गया इससे पूर्व कोई सुनवाई का अवसर अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी व्यथित पक्षकार है जिसका कि प्रत्यक्ष रूप से उक्त आदेश से हित प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी व्यथित पक्षकार होने से उक्त अपील को प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार होने से अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

अभिभाषक अपीलार्थी की बहस का जवाब देते हुए रेस्पोडेन्ट के राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कथन में अपील प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है शेष वर्णित कथन जिसमें कामयाबी की पूर्ण आशा है अस्वीकार है क्योंकि उक्त अपील सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा जिस आक्षेपित आदेश की अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है उस आदेश से अपीलार्थी किसी भी प्रकार से व्यथित पक्षकार नहीं है, ना ही उक्त आदेश से अपीलार्थी के प्रत्यक्ष रूप से हित प्रभावित होते है। अपीलार्थी द्वारा स्वच्छ हाथों से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस आधार पर भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करावे।

उभय पक्षों की धारा–96 जा0दी0 पर सुनी बहस पर मनन एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पश्चात अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश क्रमांक एफ. 12 (सी)कअ/राजस्व/13/166 दिनांक 4–6–2013 की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। अपीलार्थी के द्वारा नियमित रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:39 IST
Reason: Self Attested

से राजस्व अधिकारियों को उपरोक्त खनन पट्टे की तरमीम राजस्व अभिलेख में करने हेतु राजस्व अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिये जा रहे थे। अपीलार्थी द्वारा हलका पटवारी से नियमित रूप से सम्पर्क रखा हुआ था। दिनांक 4–9–2019 को जब अपीलार्थी ने हलका पटवारी से पूर्व में दिये गये प्रार्थना पत्रों की नकलों की मांग की तो उपरोक्त जमाबंदी में दर्ज नामान्तरकरणों की जानकारी अपीलार्थी को हुई, जिसके पश्चात उक्त नामान्ताकरणों की नकल प्राप्त करने के लिए हलका पटवारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पटवारी हलका द्वारा चुनाव कार्यो में व्यस्त रहने के कारण नकले देने में असमर्थता बताई। इस पर पुनः प्रार्थना पत्र दिनांक 23–1–2020 को प्रस्तुत किया गया जिस पर नामान्तरकरण की नकल दिनांक 31–1–2020 को प्राप्त हुई और जिसमें दर्ज आदेश की जानकारी होने पर दिनांक 7–2–2020 को उक्त आदेश की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। उक्त आदेश की नकल दिनांक 12–2–2020 को प्राप्त हुई। उक्त दस्तावेजात एकत्रित कर अपील तैयार करवाकर अविलम्ब माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण के राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील काफी विलम्ब से बिना किसी ठोस व सक्षम आधार के प्रस्तुत की गई है, इस कारण से उपरोक्त अपील उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ही मूल अपील को वर्तमान स्तर पर ही सव्यय खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर एवं प्रत्यर्थी अधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता की इस पर जवाबी बहस पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:39 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक [illegible] बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि जिला कलक्टर एवं जिला [illegible] आदेश क्रमांक 166 दिनांक 4–6–2013 न्याय, नियम [illegible] होने से निरस्त योग्य है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब एक ब[illegible] विधिवत रूप से समस्त कार्यवाही करते हुए और प्रक्रिया को अपनाते हुए आवंटन कर दिया गया है तो पश्चातवर्ती

आवंटन पूर्ण रूप से अवधिक होता है। वर्तमान प्रकरण में भी कार्यालय खनिज अभियन्ता खान एवं भू–विज्ञान विभाग अजमेर के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में खनन की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपित्त प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस पर दिनांक 9–3–2004 को खनन हेतु 20 वर्ष के लिए पट्टा जारी कर दिया गया था परन्तु राजस्व कर्मचारियों के द्वारा राजस्व अभिलेख में विभागीय स्तर पर तो खनन आवंटन का इन्द्राज कर दिया गया था किन्तु मूल दस्तावेजों में इन्द्राज नहीं किया गया जिसके कारण पश्चातवर्ती आदेश क्रमांक 166 दिनांक 4–6–2013 जारी कर दिया गया जो अपीलार्थी की हद तक काबिल खारिज योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि दिनांक 18–4–2019 को भी कार्यालय खनिज अभियन्ता अजमेर के द्वारा प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 को जरिये विभागीय पत्र निवेदन किया गया कि उपरोक्त कार्यवाही का अंकन राजस्व अभिलेख में किया जावे परन्तु प्रत्यर्थीगण के द्वारा आज दिनांक तक भी उक्त आदेश की पालना में कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश क्रमांक एफ. 12(सी)कअ/राजस्व/13/166 दिनांक 4–6–2013 को अपीलार्थी के खनन पट्टे की हद तक निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिये कि अपीलार्थी अपील के तथ्यों को दस्तावेजी साक्ष्य से स्वयं सिद्ध करे। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश क्रमांक एफ. 12(सी)कअ/राजस्व/13/166 दिनांक 4–6–2013 द्वारा ग्राम पाटन स्थित आराजी खसरा नम्बर 415/1 रकबा 164–10–17 बीघा भूमि में से 10 बीघा भूमि राजकीय कार्यालय हेतु आरक्षित कर दी गई और जिसका नामान्तरकरण संख्या 1119 दिनांक 4–7–2013 स्वीकृत कर दिया गया। अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का किसी भी प्रकार से विधिक हक, अधिकार नहीं है क्योंकि जिला कलक्टर के आक्षेपित आदेश से अपीलार्थी किसी भी प्रकार से व्यथित पक्षकार नहीं है। उक्त अपील सात वर्ष बाद बिना किसी ठोस आधार के प्रस्तुत की गई है।

उनका यह भी कथन है कि कार्यालय खनिज अभियन्ता खान एवं भू–विज्ञान विभाग अजमेर के आदेश क्रमांक 1840 दिनांक 24–12–2003 द्वारा श्री मनोज कौशिक पिता गजानन्द शर्मा निवासी शिव नगर फाय सागर रोड के पक्ष में 10000 वर्ग मीटर क्षेत्र में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश जारी किये गये। स्वीकृति आदेश में खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं किया जाकर निकट ग्राम पर अंकित किया गया है। पटवारी हलका को लीज क्षेत्र को संलग्न मानचित्र में पेंशिल तरमीम हेतु पालनार्थ कार्यालय पत्र क्रमांक 6277 दिनांक 22–10–2019 को भिजवाया गया जिस पर पटवारी हलका पाटन द्वारा दिनांक 26–11–2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:39 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकृति आदेश में खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं किया गया है वरन निकट ग्राम पाटन अंकित किया गया है जिसके कारण आदेश की पालना नहीं की जा सकी। खनिज विभाग को तहसील कार्यालय के पत्रांक 6937–38 दिनांक 2–12–2019 द्वारा सूचित भी किया गया था। कार्यालय खान विभाग द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि वक्त सीमांकन हलका पटवारी उपस्थित नहीं होने से सीमांकित क्षैत्र का खसरा सीमांकन सत्यापित नहीं कराया जा सका। इस प्रकार आवेदक को राजस्व मानचित्र से लीज क्षेत्र का सीमांकन नहीं कराया गया। लीज धारक द्वारा स्वयं निश्चित स्थान लीज क्षेत्र मानकर खनन कार्य किया जा रहा है। मौके पर लीज होल्डर का विधिक हक, अधिकार नहीं होने के उपरान्त भी खनन कार्य कर रहा है। बरवक्त खान विभाग द्वारा किये गये सीमांकन के पटवारी हलका/गिरदावर को जानबूझकर मौके पर नहीं बुलाया गया, जबकि अपीलाधीन खसरा नम्बर ग्राम पाटन की मुख्य आबादी मात्र से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है जिसमें खनन किये जाने से आमलन को जानमाल का नुकसान होने की प्रबल संभावना है। पटवारी हलका पाटन की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 415 रकबा 24.9981 हैक्टर में मौके पर लगभग 2 हैक्टर में खनन कार्य किया जा रहा है, जो वर्तमान में राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित है। उक्त भूमि राजकीय कार्यालयों के नाम आरक्षित कर दी गई है। इस कारण भी प्रथमदृष्टया ही अपील सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पाटन स्थित आराजी खसरा नम्बर 415/1 रकबा 164 बीघा 10 बिस्वा 17 बिस्वांसी भूमि में से 1.00 हैक्टर भूमि का खनन् पट्टा चाहने हेतु आवेदन पत्र मनोज कौशिक पुत्र श्री गजानन्द शर्मा के द्वारा दिनांक 7–9–2002 को कार्यालय खनिज अभियन्ता खान एवं भू–विज्ञान विभाग अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीक्षण अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, अजमेर के ज्ञापन क्रमांक ख.अ./अज/अप्रधान/67/02/477 दिनांक 20–3–2004 के अनुसार इसकी संविदा का निष्पादन दिनांक 9–3–2004 को एवं पंजीयन दिनांक 9–3–2004 को किया गया। खनिज विभाग अजमेर के आदेश क्रमांक खअ/अज/अप्र/एमएल/167/02/1840 दिनांक 24–12–2003 से खनन पट्टा वास्ते खनिज चुनाई पत्थर क्षेत्र 10000 (दस हजार) वर्ग मीटर निकट ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ में पंजीयन तिथी से बीस वर्ष के लिए श्री मनोज कौशिक, श्री गजानन्द शर्मा के पक्ष में स्वीकृत किया गया। खनिज विभाग अजमेर के आदेश दिनांक 10–8–2018 क्रमांक 4496 दिनांक 10–8–18 व परिपत्र दिनांक 13–7–2018 के द्वारा उक्त लीज अपीलार्थी बाबू लाल अग्रवाल के पक्ष में हुई। उक्त संबंध में खसरा नं. 415/1 ग्राम पाटन में स्थित आराजियात में आवंटित लीज का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु खनिज विभाग अजमेर एवं अपीलार्थी मनोज कौशिक पुत्र गजानन्द शर्मा एवं अपीलार्थी श्री बाबूलाल अग्रवाल द्वारा तहसील कार्यालय में पत्राचार किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:39 IST
Reason: SelfAttested

किन्तु उक्त लीज/पट्टे का अमल दरामद राजस्व अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया। खनिज विभाग द्वारा कार्यालय के पत्र क्रमांक 1840 दिनांक 24–12–2003 की प्रति कलक्टर अजमेर को भिजवाई गई कि उक्त आदेश से उनको कोई आपत्ति हो तो एक माह की अवधि में सूचित किया जावे किन्तु उक्त स्वीकृति आदेश के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण नियमानुसार खनन पट्टे की संविदा का निष्पादन 9–3–2004 को 20 वर्ष की अवधि के लिए किया गया।

खान विभाग द्वारा दिनांक 24–12–2013 को तहसीलदार, किशनगढ़ को खानों के अमल दरामद के लिए आयोजित केम्प में खनन पट्टा संख्या 167/02 को खसरा नक्शा में तरमीम किये जाने हेतु निवेदन किया गया। वर्तमान में उक्त लीज खनन पट्टा शेष अवधि के लिए मैसर्स जयपुर माईन्स प्रो. बी.एल.अग्रवाल एच.यू.एफ निवासी एफ 102, 937 एस.बी.आई स्ट्रीट चौड़ा रास्ता जयपुर के पक्ष में खनिज विभाग के आदेश क्रमांक 4496 दिनांक 10–8–2018 से स्वीकृत किया गया जिसका पंजीयन दिनांक 13–8–2018 को हुआ। उक्त खनन पट्टा खनिज विभाग अजमेर द्वारा नियमानुसार खनन कार्य हेतु पट्टा स्वीकृत किया गया है जो वर्तमान में प्रभावी है। ग्राम पाटन स्थित आराजी खसरा नम्बर 415/1 में से उक्त आवंटित क्षेत्र का नक्शे में तरमीम भी किया हुआ है जिस पर खनिज अभियन्ता के हस्ताक्षर है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पटवारी हलका पाटन द्वारा दिनांक 30–4–2003 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि दिनांक 6–4–2003 को कार्यालय खनि अभियन्ता अजमेर के वरिष्ठ खनि अभियन्ता श्री सुरेन्द्र यादव द्वारा खनन पटट्ा संख्या 167/02 खनिज चुनाई पत्थर निकट ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर के श्री मनोज कौशिक द्वारा आवेदित क्षेत्र का सीमांकन किया गया उसे उनकी उपस्थिति में पुनः दिनांक 30–4–2003 को मेरे समक्ष सत्यापित किया गया एवं चारो पिलर लगाये गये जो कि चरागाह एवं वन क्षेत्र में नहीं आता है। सीमांकित क्षेत्र खसरा नम्बर 415/1 जो राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है। खनिज अभियन्ता, अजमेर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 239 दिनांक 8–4–2017 द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम 2017 की नियम 9(2) के अनुसार उक्त खनन पट्टे की अवधि 50 वर्ष से कम है अतः श्री मनोज कौशिक के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे की अवधि 50 वर्ष होने से दिनांक 8–3–2054 तक स्वतः बढ़ गई है। खनि अभियनता अजमेर के पत्र क्रमांक 4495 दिनांक 10–8–2018 के द्वारा खनन पट्टा 167/2 का हस्तांतरण मैसर्स जयपुर माईन्स प्रो. बी.एल.अग्रवाल एच.यू.एफ निवासी एफ–102, 937 एस.बी.आई स्ट्रीट चौड़ा रास्ता जयपुर के पक्ष में नियमानुसार स्वीकृत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:39 IST
Reason: SelfAttested

खनिज अभियनता, अजमेर की मौका रिपोर्ट दिनांक 8–8–2018 में उल्लेख है कि खनन पट्टा खनिज मेसनरी स्टोन एल.न0 167/02 निकट ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ मौके पर पहुंचे। मौके पर खनन पट्टा क्षेत्र में माईनिंग

गतिविधि चालू पाई गई। मौके पर खनन पट्टा क्षेत्र के प्रतिनिधि मनौज कौशिक निवासी फायसागर रोड़ अजमेर तहसील अजमेर मौके पर उपस्थित मिले उन्होंने बताया कि वर्तमान में अन्य कार्यो में व्यस्त रहने के कारण खान की देखभाल नहीं कर पा रहे है इसलिए खनिज के विकास के लिए इसका हस्तान्तारण मैसर्स जयपुर माईन्स प्रो0 बी.एल. अग्रवाल एच.यू.एफ जयपुर के पक्ष में करना चाहते है। मौके पर उनके द्वारा बताया गया कि खनन पट्टा क्षेत्र के हस्तांतरण में किसी प्रकार का कोई लेन देन व सौदे बाजी नहीं हुई है। मौके पर आस–पास पूछताछ करने पर पट्टा हस्तांतरण स्पेक्यूलेटिव नेचर का होना नहीं पाया गया। मौके पर रिपोर्ट बनाई जाकर हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर खनन पट्टा क्षेत्र के सीमा स्तम्भ व सूचना बोर्ड लगे हुए पाये गये। इस प्रकार वर्तमान में उक्त खनन पट्टा अपीलार्थी के पक्ष में आज दिवस तक प्रभावी है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व लीज आवंटी श्री मनोज कौशिक पुत्र गजानन्द शर्मा व अपीलार्थी प्रो0 बी0एल0अग्रवाल एवं खान विभाग अजमेर द्वारा खान विभाग, अजमेर को ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ में खनन पट्टा संख्या 167/02/1840 जो कि 1 हैक्टर की स्वीकृत है, जिसका सीमाज्ञान करवाने हेतु निवेदन किया गया। खान विभाग अजमेर द्वारा दिनांक 20–9–2018 को मौके पर खनन पट्टा क्षेत्र में विवरण अनुसार मय नक्शा की सहायता से सीमांकित किया जाकर पिलर्स का सत्यापन किया गया जिससे खानधारक सहमत हुआ है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि खनन पट्टा संख्या 167/2002 1840 दिनांक 24–12–2003 को मेसनरी स्टोन निकट ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में क्षेत्र 10000 (दस हजार) वर्ग मीटर हेतु खनि अभियनता द्वारा श्री मनोज कौशिक पुत्र गजानन्द शर्मा निवासी शिवनगर फायसागर रोड़ अजमेर के नाम स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात उक्त खनन पट्टा अपीलार्थी श्री बी.एल.अग्रवाल पुत्र श्री दामोदर प्रसाद के नाम हस्तान्तरण हुआ है। तहसीलदार को अपीलार्थी एवं खान विभाग अजमेर द्वारा कई बार पत्र लिखने के उपरान्त भी मूल राजस्व रेकार्ड में राजस्व अधिकारियों द्वारा अमल दरामद नहीं किये जाने के कारण उक्त खनन पट्टा हेतु आवंटित भूमि भी जिला कलक्टर अजमेर द्वारा आदेश क्रमांक एफ. 12 (सी)कअ/राजस्व/13/166 दिनांक 4–6–2013 द्वारा ग्राम पाटन स्थित आराजी खसरा नम्बर 415/1 रकबा 164–10–17 बीघा भूमि में से 10 बीघा भूमि राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित कर दी गई, जिसका नामान्तरकरण संख्या 1119 दिनांक 4–7–2013 भी स्वीकृत कर दिया गया और उक्त भूमि राजकीय कार्यालय हेतु स्थाई रूप से आरक्षित कर दी गई जबकि अपीलार्थी उपरोक्त भूमि पर खनन कार्य कर रहे है। यह परिस्थितियां राजस्व कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा समय पर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर तरमीम नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न हुई। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर अजमेर का आदेश क्रमांक एफ. 12 (सी)कअ/राजस्व/13/166 दिनांक 4–6–2013 जिसमें पाटन/किशनगढ़ ग्राम के खसरा नम्बर 415/1 कुल रकबा 164–10–17 में से 10 बीघा बा0अ0 भूमि जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:58:39 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित की गई है में से 10000.00 (दस हजार) वर्गमीटर अपीलार्थी के खनन पट्टे की हद तक निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर) अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ. 12 (सी)कअ/राजस्व/13/166 दिनांक 4–6–2013 जिसके द्वारा पाटन/किशनगढ़ ग्राम के खसरा नम्बर 415/1 कुल रकबा 164–10–17 में से 10 बीघा बा0अ0 भूमि जो राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित की गई है, में से 10000.00 (दस हजार) वर्गमीटर अपीलार्थी के खनन पट्टे की हद तक निरस्त किया जाता है और तहसीलदार, किशनगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे खनिज अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान अजमेर द्वारा जारी आदेश खनन पट्टा संख्या 167/02 1840 दिनांक 24–12–2003 श्री मनोज कौशिक पुत्र गजानन्द शर्मा निवासी शिवनगर फायसागर रोड़ अजमेर से हस्तान्तरण उपरान्त अपीलार्थी श्री बी.एल.अग्रवाल पुत्र श्री दामोदर प्रसाद जाति महाजन, निवासी एफ. 102, मकान नम्बर 937, एस.बी.आई. बैंक स्ट्रीट चौड़ा रास्ता, जयपुर के नाम पाटन/किशनगढ़ ग्राम के खसरा नम्बर 415/1 कुल रकबा 164–10–17 में से 10 बीघा बा0अ0 भूमि जो राजकीय कार्यालयों हेतु आरक्षित की गई है, जिसमें से 10000.00 (दस हजार) वर्गमीटर भूमि अपीलार्थी श्री बाबू लाल अग्रवाल पुत्र दामोदर प्रसाद अग्रवाल जाति महाजन एच.यू.एफ. निवासी एफ. 102, 937, एस.बी. आई. स्ट्रीट चौड़ा रास्ता जयपुर के खनन पट्टे की हद तक मूल राजस्व रेकार्ड में अविलम्ब अमल दरामद कर तद्नुरूप तरमीम किया जावे। जिला कलक्टर, अजमेर उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:38:39 IST
Reason: SelfAttested